तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पुष्पेन्द्र खीची बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बिलाड़ा) **सू.अ.अ. अपील संख्या 239/2019**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.01.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पुष्पेन्द्र खींची पता म.नं. 2/172, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.10.2019 में उसके द्वारा (1) गावं कापरड़ा तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 301/75 एवं खसरा नं0 301/74 की भूमि के संपरिवर्तन आदेश कार्यालय तहसीलदार बिलाड़ा क्रमांक राजस्व/ग्रा.क्षे. सं.प./आवासीय/2012/859 दिनांक 22.11.2012 मिश्रीलाल के नाम से जारी है तथा कार्यलय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर क्रमांक आवासीय/ग्रा.क्षे.सं.प./2012/426 दिनांक 6.12.2012 श्रीमती रामू के नाम से जारी है इस आदेशों के अधीन सब डिवीजन कर पार्श्वनाथ नगर नाम से प्लानिंग की गई थी, उक्त खसरों की भूमि से सबंधित कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है यदि हां तो इस वाद की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बिलाड़ा) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	